रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 568] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 2017/आषाढ़ 9, 1939
No. 568] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2017/ASADHA 9, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सं. 4/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर

सा.का.नि. 741(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 146 के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के अनुसरण में, रजिस्ट्रीकरण, कर के संदाय, विवरणियों को प्रस्तुत करने, एकीकृत कर की संगणना और परिनिर्धारण और इलैक्ट्रानिक वे बिल को सुकर बनाने के लिए www.gst.gov.in को सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रानिक पोर्टल के रूप में अधिसूचित करती है।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "www.gst.gov.in" से माल और सेवा कर नेटवर्क, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के उपबंधों के अधीन निगमित एक कंपनी द्वारा चलाई जाने वाली वेबसाइट अभिप्रेत है।

2. यह अधिसूचना 22 जून, 2017 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[फा. सं. एस-31011/25/2017-एसटी-I-डीओआर]

एस. आर. मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2017

No. 4/2017 – Union Territory Tax

G.S.R. 741(E).—In pursuance of section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), read with section 146 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby notifies www.gst.gov.in as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for facilitating registration, payment of tax, furnishing of returns, computation and settlement of integrated tax and electronic way bill.

Explanation.- For the purposes of this notification, "www.gst.gov.in" means the website managed by the Goods and Services Tax Network, a company incorporated under the provisions of section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

2. This notification shall be deemed to have come into force on the 22nd day of June, 2017.

[F. No. S-31011/25/2017-ST-I-DOR]

S. R. MEENA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सं. 5/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर

सा.का.नि. 742(अ).—केन्द्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 1917 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित धारा 22 की उपधारा (1) के अनुसरण में अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (अंदमान और निकोबार द्वीप समूह) नियम, 2017 है ।

(2) ये 1 जुलाई, 2017 को प्रवृत्त होंगे ।

केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का अनुकूलन ।

2. (1) पूर्ति का विस्तार क्षेत्र, संयुक्त उद्ग्रहण, संयुक्त पूर्ति और मिश्रित पूर्ति, पूर्ति का समय और मूल्य, इनपुट कर प्रत्यय, रजिस्ट्रीकरण, कर बीजक प्रत्यय और नामे नोट, लेखों और अभिलेखों, विवरणियों, कर के संदाय, स्रोत पर कर कटौती, स्रोत पर कर संग्रहण, निर्धारण, प्रतिदाय, संपरीक्षा, निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी, मांग और वसूली, कतिपय मामलों में संदाय करने का दायित्व, अग्रिम विनिर्णय, अपीलों और पुनरीक्षण, दस्तावेजों के बारे में पूर्व धारणा, अपराधों और शास्तियों, फुटकर काम, इलैक्ट्रानिक वाणिज्य, निधियों का परिनिर्धारण, संक्रमणकालीन उपबंध और प्रकीर्ण उपबंध, जिनके अंतर्गत व्याज और शास्ति के अधिरोपण से संबंधित उपबंध भी हैं, के संबंध में केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित, निम्नलिखित उपांतरणों सहित लागू होंगे, अर्थात्:-

(क) नियम 1 में,-

(i) "केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (अंदमान और निकोबार द्वीप समूह) नियम, 2017" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ख) नियम 90 के उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(4) जहां कमियां केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के अधीन प्ररूप मा.से.क. आरएफडी-03 में संसूचित की गई हैं वहां उसे उपनियम (3) के अधीन संसूचित कमियों के साथ इस नियम के अधीन भी संसूचित किया हुआ समझा जाएगा ।";

(ग) नियम 117 के उपनियम (1) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि धारा 140 की उपधारा (1) के अधीन दावे के मामले में आवेदन में पृथक् रूप से निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा-

(i) केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 3, धारा 5 की उपधारा (3), धारा 6 और धारा 6क तथा धारा 8 की उपधारा (8) के अधीन आवेदक द्वारा किए गए दावे; और

(ii) उपखंड (i) में निर्दिष्ट दावों के समर्थन में आवेदक द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) नियम, 1957 के नियम 12 में विनिर्दिष्ट प्ररूप ग या प्ररूप च में घोषणाओं तथा प्ररूप ङ या प्ररूप ज या प्ररूप झ में प्रमाणपत्रों के क्रम संख्यांक और उनका मूल्य ।";